3. आर्थिक नियोजन

अर्थ (Meaning of Economic Planning): आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना।

भारत में आर्थिक नियोजन के जनक पं. जवाहर लाल नेहरू थे। भारत में आर्थिक विकास हेतु लोकतंत्री आर्थिक नियोजन पद्धति को अपनाया गया है। भारत में आर्थिक आयोजन की चर्चा स्वतंत्रता के पूर्व ही आरंभ हो गयी थी।

योजना आयोग (Planning Commission)

ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास को एक मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई। एक संस्था 'केंद्रीय सांख्यिकी संगठन' (Central Statistical Organisation, CSO) और दूसरी 'योजना आयोग' (Planning Commission)। योजना आयोग की स्थापना मार्च, 1950 में की गयी। योजना आयोग को संवैधानिक संविधान में इसके संदर्भ में कोई उल्लेख अथवा प्रावधान नही है। बावजूद इसके यह संविधान द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित नीति निर्देशक नीतियों के अंतर्गत कार्य करता है। यह एक स्वायत्त सलाहकारी संस्था (Autonomous Advisory Body) है जिसका कार्य क्षेत्र देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय साधनों की जांच करना और इनके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना है। देश का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा वित्तमंत्री, रक्षामंत्री तथा कृषि मंत्री इसके पदेन सदस्य होते है। इन सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों-अर्थशास्त्र, विज्ञान, उद्योग आदि से 4 मनोनीत सदस्य होते है। अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग का प्रारूप तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council, NDC) के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय क्षेत्रों के मुख्य पार्षद (Chief Councellors) तथा सभी सदस्य सम्मिलित होते है जो योजना के प्रारूप व योजना संबंधी नीतियों पर विचार-विमर्श करते है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद योजना भारतीय संसद में विचारार्थ पेश की जाती है। वहां से स्वीकृति होने पर योजना देश में लागू हो जाती है। विभिन्न राज्य सरकारें केंद्रीय योजना के ढांचे के अंतर्गत अपने-अपने राज्यों के लिए योजनाएं बनाती है जिनके आकार व वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में उन्हें योजना आयोग के अधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श करना होता है।

अनेक राज्यों में राज्य योजना कमीशन (State Planning Commission) भी है। जिनका अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होता है तथा वित्तमंत्री एवं योजना मंत्री इसके पदेन सदस्य होते है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निर्धारित योग्यता तथा कोई निश्चित न्यूनतम कार्यकाल नहीं होता है।

योजना आयोग देश की प्राथमिकता निर्धारित करता है, तथा उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाता है।

योजना आयोग की योजनाओं का राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

योजना आयोग, योजना लागू करने, उनका मध्यकालीन मूल्यांकन करने, आवश्यक संसोधन करने तथा योजना के मार्ग के अवरोधों को दूर करने का कार्य करता है।

योजना आयोग के प्रमुख कार्य है- देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग की योजना तैयार करना, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना, योजना के प्रत्येक चरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना।

राष्ट्रीय विकास परिषद

(National Development Council - NDC)

राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। इसका गठन 6 अगस्त, 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक आयोजन के लिए राज्यों व योजना आयोग के मध्य सहयोग स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य

योजना के संचालन का समय-समय पर मूल्यांकन करना, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना, योजना आयोग द्वारा तैयार कीगयी योजनाओं को अंतिम रूप देना।

राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृत होने के बाद योजना प्रस्ताव को संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संसद में अनुमोदन के बाद योजना को कार्यान्वित किया जाता है।

- राष्ट्रीय विकास परिषद के वृहद स्वरूप एवं व्यापक शक्तियों को देखते हुए के संथानम ने इसे 'सुपर कैबिनेट' का दर्जा दिया।
- परिषद 'सहकारी संघवाद' का सर्वोत्तम उदाहरण है।

भारतीय नियोजन की पृष्ठभूमि

(Background of Indian Planning)

सदियों की गुलामी से जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए योजना को एक प्रमुख यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम श्री एम. विश्वेशरैया ने 1934 में 'प्लांड इकॉनोमी फॉर इंडिया (Planned Economy for India) नाम पुस्तक प्रकाशित की, जो भारत के आर्थिक विकास के संबंध में योजना की प्रथम रूपरेखा थी। यह दस वर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने 1938 में पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी (National Planning Committee) की स्थापना की। इस राष्ट्रीय समिति की अनेक उपसमितियां बनाई गयी जो ठीक उसी प्रकार कार्य करती थी, जैसे वर्तमान समय में योजना आयोग के विभिन्न कार्यकारी दल (Working Groups) कार्य करते है। योजना के प्रति कांग्रेस पार्टी की रूचि और दिलचस्पी का प्रभाव अन्य पार्टियों और वर्गों पर भी पड़ा। यहां तक कि उद्योगपति भी इससे अछूते नहीं रहे। 1944 में आठ उद्योगपतियों ने मिलकर 'बम्बई योजना' (Bombay Plan) तैयार किया। इन उद्योगपतियों में जी.आर. टाटा, जी.डी. बिरला तथा श्रीराम के नाम उल्लेखनीय थें। इन उद्योगपतियों को औद्योगीकरण के क्षेत्र में सरकार की केंद्रीय भूमिका के प्रति कोई ऐतराज नही था। इसी समय श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा 'जन योजना' (People Plan) तथा श्री श्रीमन्नारायण द्वारा 'गांधी योजना' (Gandhi Plan) तैयार की गयी, परंतु अनेक कठिनाइयों के कारण इनमें से किसी को भी व्यावहारिक रूप तो नहीं दिया जा सका, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अवश्य स्पष्ट हो गया कि देश के औद्योगीकरण के लिए सदियों से व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने लोगों का जीवनस्तर बढ़ाने तथा आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन

15 अगस्त, 1947 को भारत को आजादी मिली और पं. जवाहर लाल नेहरू इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। पं. जवाहर लाल नेहरू के समक्ष देश की जर्जर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की समस्या थी। विश्व के अन्य देशों में पुनर्निर्माण के दो उदाहरण पंडित जी के सम्मुख थे। एक था जापान का 'मेजो पुनर्निर्माण और दूसरा था सोवियत संघ का नियोजित आर्थिक विकास'। पंडित जी ने जब 1927 मे तत्कालीन सोवियत संघ (यूएसएसआर) का दौरा किया, वहां जो कुछ देखा उससे बहुत प्रभावित हुये थे, संयोग से भारत की आजादी के समय सोवियत संघ में छह वर्षीया योजना चल रही थी। पंडित जी के नेतृत्व में देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने का निर्णय किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 को प्रारंभ की गयी जिसका अंतिम प्रारूप सितंबर, 1952 को तैयार किया गया। 1951 से 31 मार्च 2012 तक ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी है और बारहवीं योजना 1 अप्रैल, 2012 से चल रही है। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने व्यापक स्तर पर विकास के स्तर को छुआ है।

भारतीय में आयोजन की प्रमुख विशेषताएं

- भारतीय आर्थिक आयोजन का चरित्र निर्देशात्मक है। योजना आयोग मात्र परामर्शदात्री संस्था है और यह योजना की रूपरेखा निश्चित करता है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन आदेशात्मक नहीं है आर्थिक क्रियाओं के संपादन में आदेश के स्थान पर प्रोत्साहन से कार्य किया जाता है। निजी क्षेत्र को विकास की दिशा और गति का संकेत दिया जाता है, परंतु उसे बाध्य नहीं किया जाता है।
- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर विकेंद्रीकृत है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर निर्णय का स्वरूप विकेंद्रीकृत है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का मिलाजुला रूप है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया।
- भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रकृति मूलत: वित्तीय न होकर भौतिक है, अर्थात् पहले भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और फिर उसके वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है।
- भारतीय आर्थिक नियोजन सामाजिक भी है, अर्थात् यह विशुद्ध आर्थिक लक्ष्यों तक सीमित न होकर सामाजिक लक्ष्यों से भी प्रेरित होता है।

नियोजन उद्देश्य बनाम योजना उद्देश्य

(Planning Objectives Vs Plan Objectives)

नियोजन उद्देश्य (Planning Objectives) : नियोजन उद्देश्य

से अभिप्राय बीस वर्षों की अवधि में प्राप्त होने वाले दीर्घ कालीन उद्देश्यों से है। इन्हें परिपक्ष्य योजना (Prospective Plan) भी कहते हैं। परिप्रेक्ष्य नियोजन का आधार पंचवर्षीय योजना होती है।

योजना उद्देश्य (Plan Objectives): योजना उद्देश्य से अभिप्राय पाँच वर्ष की अवधि में पूरे किये जाने वाले अल्पकालीन उद्देश्यों से है। योजना उद्देश्य विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल कृषि के विकास पर बल डाला गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योंगों के विकास पर ध्यान दिया गया था। अत: भारत में चलाए जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अलग-अलग उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परंतु इन सभी का मुख्य उद्देश्य **संवृद्धि** तथा **समानता** को प्राप्त करना है।

परिस्थितियों एवं समानताओं में अन्तर पाया जाता है। अत: तत्कालीन परिस्थितियों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. संवृद्धि
2. समानता
3. आत्मनिर्भता
4. आधुनिकीकरण

1. **आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) :** जी०डी०पी० एवं प्रतिव्यक्ति जी०डी०पी० में वृद्धि करके विकास की ऊँची दर प्राप्त करना हमारी सभी योजनाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, जैसे-कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र देश की जी०डी०पी० में अपना अंशदान देते हैं विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का अंशदान बढ़ता जा रहा है तथा कृषि क्षेत्र का अंशदान घटता जा रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना में परिवर्तन हुआ है। क्षेत्रवार संरचना का यह परिवर्तन बताता है भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्थाकी ओर अग्रसर है। आर्थिक संवृद्धि का उद्देश्य देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि को भी बताता है।

2. **समानता (Equlity) :** भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भी अपने एक मूलभूत उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया है। भारत के योजना निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही इस उद्देश्य का निर्धारण किया है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं-

   (i) **आर्थिक विषमताओं में कमी करना:** सामान्य तौर पर विभिन्न वयक्तियों के बीच आर्थिक विषमताएं दो रूपों में पाई जाती हैं- आय की असमानताएं तथा धन व संपत्ति के वितरण की असमानताएं। भारत में दोनों ही प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। लोगों के बीच आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। जैसे- कर प्रणाली, लाइसेंस नीति, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक, गांवों में भूमि का पुनर्वितरण इत्यादि।

   (ii) **आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर रोक :** पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना (बजट) में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक शक्ति का केन्द्र देश के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में न हो। साथ ही साथ देश के विकास का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। अर्थात् समावेशी विकास।

   (iii) **कमजोर वर्गों के लोगों पर विशेष ध्यान :** देश के पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ विकास पर बल दिया गया है। इस दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं, बच्चों अपंगों, बुजुर्गों आदि के उत्थान पर विशेष बल दिया गया है तथा इनको देश के विकास में भागीदारी बनाने के लिए तथा इनके उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी गई है। विकास की ऊंची दर और समाजिक न्याय भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। समावेशी विकास भारतीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

3. **आत्मनिर्भरता (Self-reliance) :** स्वावलंबन से आशय उन वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना है जिन्हें देश में ही उत्पादित किया जा सकता है। विशेषकर खाद्यान्नों के लिए ही आरंभ के पंचवर्षीय योजनाओं में स्वावलंबन पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य के कई पहलु हैं, जैसे- आयात प्रतिस्थापन, निर्यात में वृद्धि, रक्षा उपकरणों, पूंजी वस्तुओं एवं अन्य अनिवार्य साज-सामानों में स्वावलंबन।

4. **आधुनिकीकरण (Modernisation) :** आधुनिकीकरण का सामान्य अर्थ है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। इसके दो पहलु हैं :

   (i) **नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग :** टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उन्नति होती है तथा उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन होता है।

   (ii) **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन :** सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे- परिवार नियोजन, लड़का-लड़की

में समानता, महिलाओं के समान अधिकार तथा समान मजदूरी आदि।

ऊपर उल्लेखित मुख्य चार उद्देश्यों के अलावा रोजगार अवसरों में वृद्धि, गरीबी-उन्मूलन, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना भी शुरू से भारत की योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं।

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं

(Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)

अवधि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक

सैद्धांतिक मॉडल:- हेरॉड्-डोमर मॉडल पर आधारित

प्रमुख लक्ष्य:- कृषि क्षेत्र का विकास

प्रमुख तथ्य

- कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता
- 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आंरभ
- कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यों में विशेष सफलता।
- राष्ट्रीय आय में 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 3.6 प्रतिशत की वृद्धि-दर प्राप्त की गयी।
- प्रति व्यक्ति आय में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।

दूसरी योजना (Second Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1961 तक

सैद्धांतिक मॉडल : पी.सी. महानलोबिस के असंतुलित विकास के मॉडल पर आधारित

लक्ष्य : तीव्र औद्योगीकरण

प्रमुख विशेषताएं

- आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- सार्वजनिक क्षेत्र में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना।
- मुद्रास्फीति, खाद्यान्न संकट और विदेशी मुद्रा की समस्याएं।
- राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 4.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि-दर।
- सार्वजनिक क्षेत्र ने औद्योगीकरण के क्षेत्र में उत्प्रेरक का स्थान प्राप्त किया।

तीसरी योजना (Third Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966

सैद्धांति मॉडल : महालनोविस सहित जॉन सैन्डी व एस. चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित।

लक्ष्य : अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी व स्वस्फूर्ति बनाना।

प्रमुख तथ्य

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना।
- खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देकर अगले दशक तक एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करना ताकि स्वजीवी औद्योगिक संरचना का विकास हो सके।
- देश में उपलब्ध जनशक्ति का पूर्ण उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन करना।
- 'स्वयं स्फूर्ति' की स्थिति प्राप्त करना।

पमुख विशेषताएं :

- चीन व पाकिस्तान से युद्ध के कारण प्राथमिकताओं का झुकाव रक्षा की ओर।
- देश के कुछ हिस्सों में सूखा- खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित, खाद्यान्न संकट।
- राष्ट्रीय आय में 6.5 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर।
- प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत रही।
- पूर्णत: असफल योजना

तीन वार्षिक योजनाएं

(Three Annual Plans)

तीसरी पंचवर्षीय योजना विभिन्न कारणों से पूर्णत: असफल रही और भारत- पाकिस्तान युद्ध (1965), दो वर्षों तक चले, भयंकर सूखे तथा मुद्रा अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गयी थी इसलिए चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया और तीन वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलायी गयी। इससे बदली हुई परिस्थिति में चौथी योजना से देश में महत्वपूर्ण व आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। इस अवधि को योजनावकाश (Plan Holiday) कहा जाता है।

अवधि- 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1969 तक

उद्देश्य / लक्ष्य-

- युद्ध से उत्पन्न स्थितियों का निराकरण
- खाद्यान्न संकट का समाधान
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
- चौथी योजना के लिए आधार तैयार करना

प्रमुख विशेषताएं

- सभी तीन वर्षों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई गयी।
- बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में असफल।
- 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से)
- 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ खाद्यान्न के लिए बफर स्टॉक की योजना।
- चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए परिस्थिति मे कुल अनुकूलता।

चौथी योजना (Fourth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974

सैद्धांतिक मॉडल : ऐलन एस. मात्रे और अशोक रूद्र मॉडल

लक्ष्य : स्थिरता के साथ आर्थिक विकास (Growth With Stability) और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे-

- राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5.7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना।
- कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी।
- समाज के अपेक्षाकृत निर्धन व पिछड़े हुए व्यक्तियों जैसे-अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, भूमिहीन श्रमिको व छोटे-कृषकों को आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
- विदेशी भुगतान के खाते में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से निर्यात में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि का लक्ष्य।
- प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए समुचित उपाय काम में लेने के लिए प्रस्ताव।
- सुरक्षा संबंधी एवं बुनियादी उद्योगों की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताए :

- 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 लागू किया गया।
- 1971 में भारत पाक युद्ध का शरणार्थी समस्या।
- 1972 में तेल संकट।
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 5.7 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध केवल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई।

पांचवी योजना (Fifth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979

लक्ष्य : गरीबी उन्मूलन एंव त्वरित विकास

सैद्धांतिक मॉडल : योजना आयोग द्वारा तैयार प्रारूप में तीन मॉडलों को शामिल किया गया था-

- समविष्ट भावी मॉडल
- आगत-निर्गत मॉडल
- उपयोग मॉडल

योजना के मुख्य उद्देश्य :

- राष्ट्रीय आय में वार्षिक विकास की दर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष प्राप्त करना
- उत्पादन रोजगार के अवसरों का विस्तार
- निम्नतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें शिक्षा, जल आदि की व्यवस्था के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया
- कृषि व आधारभूत उद्योगों व आम जनता के उपयोग का माल बनाने वाले उद्योगों पर बल
- आवश्यक उपभोग योग्य वस्तुओं को उचित व स्थिर भावों पर निर्धन वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना
- निर्यात प्रोत्साहन व आयात प्रतिस्थापना
- गैर आवश्यक उपभोग पर कठोर नियंत्रण
- कीमत, मजदूरी व आय में न्यायपूर्ण संतुलन
- सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए संस्थागत, राजकोषीय व अन्य उपाय करना।

जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इस दौरान चार वर्षों (1974-78) में सामान्य कीमत स्तर में 34.5 प्रतिशत तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। न गरीबों की आय बढ़ी और न ही गरीबी में कमी आयी।

प्रमुख तत्व :

- यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली। 31 मार्च, 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया।
- चौथी योजना के अनुभव के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर की लक्ष्य मे कमी की गयी।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र इन घटे हुए लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सके।
- खाद्यान्न और सूती वस्त्रों के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गयी।

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.4 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके छठीं योजना 1978-83 लागू की गयी जिसे अनवरत योजना का नाम दिया गया था।

छठी योजना (Six Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक जनता पार्टी सरकार ने 1 अप्रैल, 1978 को छठी योजना आरंभ की थी। 1980 मे कांग्रेस ने सत्ता मे आने के बाद 1 अप्रैल, 1980 को नई छठी योजना आरंभ की। 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि की योजनावकाश माना गया।

सैद्धांतिक मॉडल : कई विकास युक्तियों को ध्यान में रखकर संरचनात्मक परिवर्तन एवं संमृद्धि पर बल।

लक्ष्य : रोजगार सृजन

प्रमुख उद्देश्य :

- अर्थव्यवस्था की विकास दर में सार्थक वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग में कुशलता को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना।
- आर्थिक व तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु आधुनिकीकरण को बढ़ावा को प्राथमिकता दी गयी।
- ऊर्जा के घरेलू संसाधनों का तेजी से विकास करना।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक व समाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार करना।
- सार्वजनिक नीतियों व वितरण प्रणाली को गरीबों के अनुकूल बनाना।
- स्वैच्छिक रूप से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त शिक्षा, संचार व संस्थागत कार्यनीतियों के द्वारा विकास प्रक्रिया में जनता के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारिस्थितिक व पर्यावरण परिसंपत्तियों के संरक्षण व सुधार पर बल देना।

प्रमुख विशेषताएं :

- यह योजना 15 वर्ष (1980-95) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई। इसे दृष्टि नियोजन कहा जाता है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर लक्ष्य 5.2 के विरूद्ध 5.5 प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।
- आर्थिक संवृद्धि दर आत्म निर्भरता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष सफलता।
- गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता।

छठी योजना के दौरान चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किये गये :

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
- ग्रामीण खेतिहार मजदूर रोजगार गारंटी योजना (RLEGP)
- ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रतिशक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)

सातवीं योजना (Seventh Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990

सैद्धांतिक मॉडल : दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल।

लक्ष्य : आधुनिकीकरण

प्रमुख उद्देश्य :

- कृषिगत उत्पादन, विशेषतया खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्रगति से वृद्धि
- सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करनेका निर्णय लिया गया। कृषि गत उत्पादन बढ़ानों के लिए जरूरी औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने मे पूंजी लगायी जायेगी।
- रोजगार सृजन के वृद्धि में औद्योगिक प्रक्रिया को तेज करना।
- उत्पादन की वर्तमान क्षमता का गहनता से प्रयोग करना।
- निर्धनता दूर करने व रोजगार बढ़ाने पर विशेष बल।
- देशीय टेक्नोलोजी के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करने का निर्णय लिया गया।
- समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को कायम करना।
- लघु परिवार के मानक को स्वेच्छा से स्वीकार करना तथा आर्थिक और सामाजिक क्रिया में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देना।

इस प्रकार सातवीं योजना को अधिक व्यावहारिक, उपयोगी व लचीला बनाने का प्रयास किया गया।

मुख्य विशेषताएं :

- सातवीं योजना 15 वर्ष (1985-2000) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे दृष्टि नियोजन (Perspective Planning) कहा जाता है।
- उत्पादक रोजगार की प्रमुखता
- ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार
- आर्थिक संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्रधानता
- गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं पर सीधे प्रहार
- इस योजना मे पहली बार विनियोजन में निजी क्षेत्र को वरीयता दी गयी। कुल विनियोजन में से 48 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 52 प्रतिशत निजी क्षेत्र में किया गया।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इस योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत थी।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी जो पहली बार हिन्दू वृद्धि दर (3.5 प्रतिशत) से अधिक थी।

  औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (7 प्रतिशत) से अधिक (8.6 प्रतिशत) थी।

आठवीं योजना (Eighth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997 तक

सातवीं योजना 31 मार्च, 1990 को पूरी हो गयी थी और आठवीं योजना को 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होना था। किंतु राजनैतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना पूर्ण निर्धारित समय पर आरंभ नहीं की सकी और इसे दो वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। इन दो वर्षों (1990-91 तथा 1991-92) में वार्षिक योजनाएं लागू की गयी। इन दो वर्षों को योजना विहीन वर्ष कहा गया।

सैद्धांतिक मॉडल : उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में वरिणित जॉडब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित।

लक्ष्य : मानव संसाधन विकास उल्लिखित परिस्थितियों में तैयार की गयी आठवीं योजना निम्नलिखित चार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होगी।

- ऐसे क्षेत्रों एंव परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिनमें वित्त, व्यापार, उद्योग एवं मानव संसाधन के विकास के संबंध में अपनायी गई नवीन नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन हो सके।
- इन प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना ताकि क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण होने वाली लागत मे होने वाली वृद्धि को रोजा जा सके।
- पूरे देश में रोजगार-सृजन, स्वास्थ्य रक्षा और व्यापक शिक्षा सुविधाओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करना।
- सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेश का लाभ वांछित व्यक्तियों तक पहुंच सके, इसके लिए उपयुक्त संगठनों एवं वितरण प्रणाली का गठन करना।

प्रमुख उद्देश्य :

उपरोक्त दृष्टिकोणों पर आधारित निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है-

- रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करना ताकि 20वीं शदी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके।
- जनता के सहयोग एवं प्रभावशाली प्रोत्साहनों तथा गैर-प्रोत्साहनों द्वारा जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके।
- प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में निरक्षरता को पूर्णरूपेण समाप्त करना।
- सभी गांवों एवं संपूर्ण जनसंख्या को पीने का स्वच्छ जल और प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना और मेहतर प्रथा (Scavanging) को पूर्णरूपेण समाप्त करना।
- कृषि का तीव्र विविधिकरण एवं तीव्र विकास करना ताकि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त हो सके और निर्यात के लिए अतिरेक मिल सके।
- विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित व स्वजीवी बनाने के लिए आधारभूत संरचना (Infrasucture) जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई को सुदृढ़ करना।

प्रमुख विशेषताएं :

- इस योजना का आधार वर्ष बदलकर 1991-92 रखा गया।
- घरेलू संसाधनों की निर्भरता पर बल दिया गया।
- उद्योगों मे आधुनिकीकरण, विविधीकरण और प्रतिस्पधत्मिकता पर बल।
- निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल।
- शिक्षा, साक्षरता, पेयजल, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया।
- निर्देशात्मक नियोजन के स्थान पर प्रोत्साहन नियोजन पर आधारित।

- सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 6.7 प्रतिशत प्राप्त की गयी।
- कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य (3.5 प्रतिशत) से अधिक (3.6 प्रतिशत) प्राप्त की गयी।
- औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 8.5 प्रतिशत से कम 8.10 प्रतिशत रही।

नवीं योजना (Ninth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002

लक्ष्य : न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास

मुख्य उद्देश्य :

- पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।
- मूल्यों में स्थायित्व लाना और आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
- सभी के लिए भोजन एवं पोषण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन समाज के कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देना।
- समाज को मूलभूत न्यूनतम सेवाएं प्रदान करना: तथा समयबद्ध तरीके से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना विशेष रूप से स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा व आसान सुविधा के संबंध में।
- सभी लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय क्षमता सुनिश्चित करना।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना।
- महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों एंव अल्पसंख्यकों को शक्तियां प्रदान करना जिससे कि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।
- पंचायतीराज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।
- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को मजबूत करना।

इस प्रकार नौवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य 'न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास' (Growth with Equity and Distributive Justice) करना था। इस उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न चार बातें चिह्नित की गयी।

- गुणवत्ता युक्त जीवन (Qualitative Life)
- रोजगार संवर्द्धन (Employment Promotion)
- संतुलन (Regional Balance)
- आत्मनिर्भरता (Self- Dependence)

परिणाम :

- 1991 में आरंभ की गयी उदारीकरण प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा आठवीं योजना में विकास के निजी क्षेत्र की ओर झुकाव के अनुरूप, नौवीं योजना में कहा गया कि 'हमारी विकास युक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे व्यापक और फैले हुए निजी क्षेत्र को इतना सक्षम बना सके कि वह उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-अवसरों के सृजन तथा समाज के आय स्तर में वृद्धि कर पाने की अपनी पूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सके। आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजारों के अनुशासन में कार्यरत शक्तिशाली निजी क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा जिसमें न्यूनतम लागत पर तेज आर्थिक विकास हो सकेगा। इसलिए हमारी नीतियों से ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे यह परिणाम पा सकने में सहायता मिले।'
- इस प्रकार, नौवीं योजना में सरकार की विकास युक्ति का उद्देश्य ऐसी आर्थिक व सामाजिक आधारित संरचना का निर्माण करना था जिसमें निजी क्षेत्र बिना किसी कठिनाई व रूकावट के अपने कार्य-कलाप को कर सके। अर्थात् सरकार को बिजली व ऊर्जा की उचित व्यवस्था, म्युनिसिपल सेवाओं (Municipal Services) इत्यादि के विकास व विस्तार पर विशिष्ट ध्यान देना था। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़के, संगठित ग्रामीण बाजार इत्यादि आएंगें।
- औद्योगिक क्षेत्र में विकास युक्त का प्रयास यह था कि निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को कम से कम किया जाए तथा निजी क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में नौकरशाही तंत्र व सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो।
- जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है अंततः उनके निजीकरण के उद्देश्य से विनिवेश (Disinvestment) की नीति जारी रखी गयी और विनिवेश से जो संसाधन प्राप्त होने थे, उनको सामाजिक क्षेत्रों (विशेष तौर पर स्वास्थ्य व शिक्षा) की योजनाओं पर खर्च करने का वादा किया गया।
- जहां तक विदेशी क्षेत्र का संबंध है, इसमें युक्ति इस प्रकार की रही कि आयात प्रशुल्क दरों को कम किया गया एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, निर्यातों के प्रयास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गये तथा निर्यात प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए विदेशी विनिमय दर नीति का प्रयोग किया गया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए गये।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो 1990-91 में 0.1 बिलियन डॉलर था, 1997-08 में बढ़कर 3.2 बिलियन डॉलर हो गया।

- जहां तक पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) का प्रश्न है, नौवीं योजना में इस विषय पर सर्तकता अपनाने पर जोर दिया गया क्योंकि अल्पकालीन पूंजी प्रवाह देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते है जैसा कि 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में पूर्वी एशियाई देशों के अनुभव से स्पष्ट होता है।
- वित्तीय क्षेत्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना का जोर वित्तीय सुधारों पर खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर तथा पूंजीबाजार में सुधारों पर रहा। योजना में बीमा और पेंशन फंडों से संबंधित सुधारों पर भी जोर दिया गया। योजना आयोग का विचार है कि ये दीर्घकालीन पूंजी के स्वाभाविक स्रोत है और इसलिए इनका प्रयोग आधारित संरचना के वित्तीय के लिए किया जा सकता है।
- योजना में साल दर साल भारी राजकोषीय घाटों (Fiscal Deficits) पर निर्भर रहने के खतरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस योजना में एक ऐसी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनाए जाने की बात की गयी जिसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में राजकोषीय घाटे को एक सहनीय (Sustainable) स्तर पर लाने की व्यवस्था हो। विशेष रूप से राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को कम करने पर जोर दिया गया। जहां एक गैर-योजना व्यय को कम करने का प्रश्न है इसके लिए आवश्यक होगा कि आर्थिक सहायता (Subsidy) का बोझ कम किया जाए। समय के साथ कई प्रकार की प्रत्यक्ष व छिपी हुई आर्थिक सहायता का भार बढ़ता गया।
- कई बार आर्थिक सहायता का लाभ ऐसे लोगों को हुआ है जिन्हें आर्थिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आर्थिक सहायता का दायरा सीमित किया जाये और उसे केवल उन वर्गों तक केंद्रित किया जाये जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है।

दसवीं योजना (Tenth Plan)

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07) में 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की परिकल्पना की गयी थी। दसवीं योजना में 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य के अतिरिक्त मानव विकास के कुछ मुख्य संकेतकों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किये गये। इनमे वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 8 प्रतिशांक बिन्दु कम करना, योजना अवधि में श्रमिक बल में वृद्धि करने के लिए लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को विद्यालय भेजना और योजना अवधि के भी साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना शामिल थे।

दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य :

- दसवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रतिवर्ष 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- पांच वर्ष में 78,000 करोड़ रूपये का विनिवेश।
- पांच वर्ष में पांच करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन।
- सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 15,92,300 करोड़ रू।
- केंद्रीय योजना परिव्यय 9,21,291 करोड़ रू।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का परिव्यय 6,71,009 करोड़ रू।
- केंद्रीय बजटीय सहायता 7,06,000 करोड़ रू।
- 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत करना।
- 2007 तक शिशु मृत्यु दर घटाकर 45 प्रति हजार करना।
- 2007 तक वनाच्छादन बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।
- सकल घरेलू निवेश की दर GDP को 28.41 प्रतिशत करना।
- सकल घरेलू बचत की दर GDP का 26.84 प्रतिशत करना।
- विदेशी पूंजी पर निर्भरता GDP का 1.6 प्रतिशत करना।
- कर- GDP अनुपात बढ़ाकर 2007 तक 10.5 प्रतिशत करना।
- केंद्र और राज्यों का सामूहिक कर GDP अनुपात 16.5 प्रतिशत करना।
- गैर योजना व्यय को घटाकर GDP का 9 प्रतिशत करना।
- निर्धनता अनुपात को 2007 तक 19.34 प्रतिशत तथा 2012 तक 11 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- 2007 तक श्रम बल में हुई अतिरिक्त वृद्धि को उच्चगुणवत्तायुक्त रोजगार उपलब्ध कराना।
- सन् 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय भेजना और सन् 2007 तक उन्हें 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना।
- साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अंतर को सन् 2007 तक 50 प्रतिशत कम करना।
- 2001-11 के दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- शिशु मृत्यु दर को सन् 2007 तक 45 प्रति हजार तथा 2012 तक 28 प्रति हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- मातृत्व मृत्यु दर को सन् 2007 तक 2 प्रति हजार तथा 2012 तक 1 प्रति हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- वनाच्छादन को 2007 तक 25 प्रतिशत तथा 2012 तक 33 प्रतिशत तक करना।

- सन् 2007 तक सभी बड़ी नदियों के प्रदूषण की सफाई करना तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई करना।

परिणाम :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों का परिणाम कुल मिलाकर अपने लक्ष्यों से कम रहे है, विशेषकर कृषि क्षेत्र चिंता का विषय बनकर उभरा है। सकल घरेलू उत्पाद की औसतन वृद्धि 7.3 प्रतिशत ही रही जबकि लक्ष्य 8.1 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। वर्ष 2002-03 में मानसून में अनियमितताओं के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक (-6.9 प्रतिशत) रही। हालांकि वर्ष 2003-04 से 2005-06 के बीच स्थिति मे तेजी से सुधार हुआ। वर्तमान आंकड़ें इसके साक्ष्य है वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.7 प्रतिशत की रही जिसमें वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत उद्योग 8.7 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। इस प्रकार चार वर्षों (2002-06) के औसत के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और उसके तीन मुख्य क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग और सेवा की वृद्धि दर क्रमशः 1.8 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रही। योजना काल का अंतिम वर्ष (2006-07) की आर्थिक उपलब्धियां उत्साहवर्द्धक रहीं क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9. 1 प्रतिशत दर्ज की गयी, जबकि वर्ष 1999-2000 के मूल्य के आधार पर कृषि वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत रही तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 10.7 प्रतिशत रही।

11वीं योजना (Eleventh Plan)

11वीं योजनावधि में क्षेत्रवार विकास लक्ष्य रखे गये है इस दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 10.5 और सेवा क्षेत्र 9.9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि दसवी योजनावधि मे इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। योजना आयोग ने अपने दृष्टिकोण पत्र में कहा कि तीव्र आर्थिक प्रगति के बगैर न तो गरीबों के जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार हो सकता है। न ही उन्हें हासिल होने वाली बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानों में किसी प्रकार का सुधार संभव है। इसलिए इसने 1960 के उत्तराद्ध से उदार अर्थव्यवस्थाओं की इस राय का खंडन किया है कि विकास और समता में परस्पर विरोध अंतर्निहित है और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने अर्थात् समता का स्तर बढ़ाने के लिए विकास का किंचित त्याग करना पड़ेगा।

उद्देश्य :

विकास और रोजगार को तेज करने के लिए आवश्यकता है:

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ताओं के लिए सुलभ तथा प्रतियोगी लागत पर समुचित तथा कुशल आधारभूत संरचना। इसमें 16,00,000 करोड रूपये के निवेश का अनुमान।
- सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अकेले वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता।
- अतएवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयास को बल देने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारियों (पीपीपी) पर भरोसा आवश्यक है।
- सफल होने के लिए पीपीपी को एक उचित माहौल प्राप्त हो।
- प्रलेखों एवं प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जाना यानि एमसीए।
- पीपीपी संतुलित प्रतियोगी निविदा को शामिल करें।
- नियामक ढांचा को उपभोक्ता तथा उत्पादक के हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करना चाहिए।

आधारभूत संरचना वाले अन्य क्षेत्र

उच्च पथ :

- 2012 तक 40,000 किमी मार्ग का विकास 2,20,000 करोड रू (50 अरब डॉलर)
- अब तक अनुमोदित पीपीपी कार्यक्रम: 19,600 किमी
- भारासप्रा (एनएचएआई) की पुनर्सरचना का कार्य आरंभ किया जा रहा है।

हवाई अड्डे :

- 2012 तक संभावित निवेश: 40,000 करोड रूपये (93 अरब डॉलर)
- बंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली एवं मुंबई में पीपीपी परियोजनाएं प्रगति पर।
- पीपीपी के माध्यम से 5 हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का विकास किया जायेगा।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपस्करों का उन्नयन एवं 35 अन्य हवाई अड्डों का विकास किया जायेगा।

बंदरगाह :

- 2012 तक 64 करोड टन क्षमता का विस्तार करने हेतु 54 नई गोदियों के लिए पीपीपी।
- तलछट को हटाने के लिए पोर्ट ट्रस्टों द्वारा तलमार्जन।
- 20 वर्षों की संदर्श योजना तथा 7 वर्षों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- रेल / सड़क संपर्क की परियोजनाएं प्रगति पर है।
- सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है।

रेलवे :

- समर्पित फ्रंट कॉरीडोर के लिए एसपीवी स्थापित की गयी। संभावित निवेश: 22,000 करोड रूपये।
- कंटेनर गाड़ी खंड में प्रतिस्पर्धा लागू की गयी।
- नये रूटों पर रेलवे स्टेशनों, लौजास्टिक पार्कों, कार्गो एकत्रीकरण तथा वेयरहाउसों आदि में पीपीपी का इरादा है।

समस्या :

समस्या का मुख्य क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र है।

- 10वीं योजना में क्षमता वृद्धि निर्धारित 41,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 30,000 मेगावाट से अधिक नहीं होगी।
- 11वीं योजना योजना के लिए लक्ष्य 40-70,000 मेगावाट के आसपास होना चाहिए। इसमें संचारण तथा वितरण सहित 500,000 करोड रूपये के निवेश की आवश्यकता है।
- यह क्षेत्र इस पैमाने पर संसाधनों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। यदि क्रय उपयोगिता की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार नहीं होता है तो उसमें पीपीपी मदद नहीं कर सकता है।
- अतएवं टी एंड डी के नुकसान को उच्च प्राथमिकता देनी है। उसे 11वीं योजना के अंत तक 40 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाना है।
- राज्य सरकारें इस उद्देश्य को उच्चतम प्राथमिकता दें।

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोणपत्र के प्रमुख बिन्दु :

- तीव्रतर विकास के साथ अधिक संहित (Inclusive) संवृद्धि की दुतरफा रणनीति।
- निर्धनता अनुपात में सन् 2007 तक 5 प्रतिशतांक की तथा सन् 2012 तक 15 प्रतिशतांक की कमी लाना।
- कम से कम ग्यारहवीं योजना में होने वाली श्रम बल बुद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना।
- 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या संवृद्धि की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- ग्यारहवीं योजना अवधि में साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।
- सन् 2012 तक देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की अविरत पहुंच सुनिश्चित करना।
- योजनावधि में रोजगार के 7 करोड नए अवसर सृजित करना।

बजटीय संसाधन :

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार 2007-12 की पंचवर्षीय अवधि में केंद्र और राज्यों की सम्मिलित सकल बजटीय सहायता राशि दसवीं योजना के स्तर से 2.5 प्रतिशतांक (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) अधिक होगी इसे राजकोषीय विवेकशीलता जैसी सीमाओं (राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखना) के साथ बेहतर कर संग्रह एवं गैर-योजना व्यय के विवेकीकरण द्वारा पूरा किया जायेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुश्रवणनीय सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य

आय एवं निर्धनता :

- वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक संवृद्धि दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना तथा इसे 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच बनाए रखना।
- उच्च विकास दर के लाभों को व्यापक स्तर पर लाने के लिए कृषि जीडीपी की वार्षिक संवृद्धि दर को 4 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- रोजगार के 70 मिलियन नये अवसर पर सृजित करना।
- शैक्षिक बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से नीचे लाना।
- अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
- उपयोग निर्धनता के हेडकाउण्ट अनुपात में 10 प्रतिशत तक की कमी लाना।

शिक्षा :

- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर (ड्राप आउट रेट) को वर्ष 2003-04 में 52.2 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जांच करते रहना।
- 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना।
- साक्षरता में लिंग अंतराल (जेण्डर गैप) को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना।
- प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 15 प्रतिशत करना।

स्वास्थ्य :

- शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति एक हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- कुल प्रजननता दर को 2-1 तक नीचे लाना।
- सन् 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत 2012 तक यह सुनिश्चित करना कि इसमें कमी न आए।
- 0-3 वर्ष आयु में बालकों में कुपोषण को वर्तमान के स्तर से आधा करना।
- महिलाओं एवं लड़कियों में रक्ताल्पता को ग्यारहवीं योजना के अंत तक 50 प्रतिशत तक घटाना।

महिलाएं एवं बालिकाएं :

- 06 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016-17 तक 950 करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम से कम 33 प्रतिशत हो।
- यह सुनिश्चित करना कि काम करने की किसी बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यकाल का आनंद उठाते है।

आधारित अवसंरचना :

- सभी गांवों एंव निर्धनता रेखा से नीचे के सभी परिवारों ने सन् 2009 तक विद्युत संयोजन सुनिश्चित करना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत 2012 तक इनमें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रवाहित करना।
- सन् 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों (पर्वतीय एवं जनजातियों क्षेत्रों में 500 जनसंख्या) तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़के सुनिश्चित करना तथा सन् 2015 के सभी महत्वपूर्ण अधिवासों तक पक्की सड़कें बनवाना।
- नवंबर 2007 तक देश के सभी गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना तथा 2012 तक सभी गांवों में ब्राडबैंड सुविधा मुहैया कराना।
- सन् 2012 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना तथा सन् 2016-17 तक सभी ग्रामीण निर्धनों को आवास मुहैया कराने के लिए आवास निर्माण की गति में तेजी लाना।

पर्यावरण :

- वनों एंव पेडों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5 प्रतिशतांक की वृद्धि करना।
- वर्ष 2011-12 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना।
- नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना।
- वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20 प्रतिशतांक बढ़ाना।

उपलब्धियाँ :

ग्यारहवीं योजना (2007-12) में 9 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था जिसे बाद में संशोधित करके 8.1 प्रतिशत कर दिया गया। किंतु अब 7.9 प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी किंतु इस योजना के पहले 4 वर्षो (2007-2011) के दौरान इस क्षेत्र में हासिल की गयी विकास दर लगभग 3.2 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र का देश की (GDP) में योगदान (2004-05 की कीमतों पर) लगभग 15.7 प्रतिशत और निर्यात में 10.23 प्रतिशत रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2 प्रतिशत लोगों को रोजगार भी मिला। 11वीं योजना के अंत तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कम से कम 2 करोड टन की वृद्धि के मिशन के अंदाज में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 250.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गयी है। 11वीं योजना के दौरान इसके लिए रूपये 25 हजार करोड आवंटित किये गये है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रह है। वर्ष 2010-11 में साफ्टवेयर और सेवाओं का अनुमानित निर्यात 59 अरब डॉलर का रहा।

भारत का दूरसंचार नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नेटवर्क है। 30 जून, 2011 को देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 88 करोड, 59 लाख, 60 हजार थी। मार्च, 2011 में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड, 96 लाख, 70 हजार हो गयी थी।

मई, 2011 में CSO द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार उद्योग क्षेत्र ने 7.9 प्रतिशत की विकास दर हासिल की। वर्ष 2010-11 में घरेलू सकल पूंजी निर्माण 29.5 प्रतिशत रही। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वर्तमान में 21 उत्पाद आरक्षित किये गये है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने विकास और कल्याण स्कीमों को लागू करना जारी रखा है।

भारत अपनी यूरिया जरूरतों का 85 प्रतिशत देशी उत्पादन से पूरा कर रहा है। लेकिन फॉस्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक जरूरतों के लिए अभी भी आयात पर निर्भर है। विश्व इस्पात संघ के

अनुसार जनवरी, नवंबर, 2010 की अवधि में चीन, जापान एवं अमरीका के बाद भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने 4.9 लाख लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराए है। 11वीं योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादक और लाभकारी रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान 5 करोड 80 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2010-20 के दशक को नवप्रवर्तन का दशक घोषित किया गया है।

बारहवीं योजना (Twelth Plan)

12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2012 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2017 को समाप्त होगी। इस योजना के दृष्टिपत्र के अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के लक्ष्यों, चुनौतियों, प्रायोजित कार्यक्रमों, विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार-विमर्श किया। इसमें अनेक मुद्दों पर सहमति देखने को मिली।

दृष्टिपत्र में व्यक्त किए गए अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयवधि के अंत तक योजना निधि में राज्यों का हिस्सा केंद्र की तुलना में अधिक होगा, अगर राज्यों को आवंटित सीएसएस भी शामिल कर लिया जाए। यह महसूस किया गया कि राज्यों को अपने संसाधन बढ़ाकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य: तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास।

उपराष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी के अनुसार "12वीं पंचवर्षीय योजना जन स्वास्थ्य के नाम समर्पित है।"

योजनाओं में सदैव ही विकास को लेकर चिंता जताई जाती रही है क्योंकि विकास से ही निर्धनता को दूर किया जा सकता है। विकास ही समृद्धि लाने का औजार है। भारत की निर्धनता और उसकी विशाल विविध जन संख्याओं को देखते हुए विकास की यह भूमिका और निर्णायक हो जाती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दृष्टिकोण का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। दृष्टिकोण की विषयवस्तु है- त्वरित, सतत तथा अधिक समावेशी विकास।

दृष्टिकोण में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों, उनको हासिल करने मे आने वाली प्रमुख चुनौतियों और घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का विवरण दिया गया है। इसमें 9 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मे छाई अनिश्चितताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए यदि कुछ कठिन निर्णय नहीं लिए गए तो संभव है कि नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल न हो सके।

कृषि के मोर्चे पर दृष्टिकोण में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करने हेतु सघन प्रयास करने की बात कही गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि की विकास दर 3.2 प्रतिशत रही है। कृषि के विकास से न केवल ग्रामीणों की आय मे सुधार होगा, बल्कि मुद्रास्फीति पर दबाव भी कम होगा। दृष्टिकोण मे जल संरक्षण को और कारगर बनाने का लक्ष्य लेकर समग्र जल प्रबंधन नीति विकसित करने और विशेषकर कृषि के क्षेत्र मे जल के किफायती उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

समावेश का संवर्द्धन करने वाले जो प्रमुख कार्यक्रम ग्यारहवीं योजना में प्रारंभ किए गए थे, वे 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेंगें; परंतु उनकी प्रभाविकता में सुधार लाने के लिए क्रियान्वयन और प्रशासन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी ध्यान दिया जाना जारी रहेगा। सबके लिए स्वास्थ्य पर उच्चस्तरीय विशेष समूह ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर के बजाय 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के व्यय की संतुति की है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र का आवंटन दोगुना हो सकता है।

महत्वकांक्षी विकास दर को हासिल करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि घरेलू ऊर्जा आपूर्ति सीमित है, इसलिए इस मद में आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अत: ऊर्जा की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि के लिए दोगुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा-क्षरण को भी कम करना होगा।

दृष्टिकोण में यह बात स्वीकार की है कि 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए बुनियादी संरचना क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। ढांचागत अभावों के मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक निवेश पर अधिक जोर देने के साथ-साथ सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारियों (पीपीपी) की और प्रोत्साहन देना होगा।

दृष्टिकोण में स्पष्ट किया गया है कि संसाधनों के सीमित होने के कारण प्राथमिकताएं निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी संरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्यों से अधिक निवेश करना होगा। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किफायत और कुशलतापूर्वक करना होगा। दृष्टिकोण में क्रियान्वयन एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता, लचीलापन और

जवाबदेही देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही क्षमता निर्माण की आवश्यकता और विभिन्न योजना कार्यक्रमों के संसाधनों के बीच समायोजन की बात भी कही गई है।

निश्चय ही विकास ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य है समावेशी विकास जिससे हमारा अर्थ है पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर सके और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी कर सके।

समावेश के लिए प्रासंगिक हमारे काम-काज का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दसवीं योजनावधि में 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से घट रही कृषि की विकास दर के 11वीं पंचवर्षीय योजना मे औसतन 3.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यह सुस्पष्ट सुधार इस बात का प्रमाण है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में उठाए गए, अनेक कदम सफल रहे है। त्वरित कृषि विकास के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूरी मे वास्तविक वृद्धि हुई है।

समावेशन की हमारी रणनीति मे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस क्षेत्र के समाचार उत्साहवध र्क है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भर्ती की स्थिति उत्साहजनक है। प्राय: सभी बच्चों के नाम लिखे जा रहे है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉप आउट्स) की संख्या काफी है, परंतु उसमें कमी आ रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा शेष जनसंख्या के बीच दूरी (अंतर) बनी हुई है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। परंतु यह अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर में भी कमी आ रही हैं इन अंतरों मे और कमी लाने के लिए अपने प्रयासों के साथ-साथ हमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की चुनौती का सामना करना होगा। शिक्षा ऐसी हो जिससे रोगजार मिलने में आसानी हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2007 मे ही शुरू हुआ है, परंतु इसमें स्वास्थ्य अधोसंरचना में भारी अंतर को पाटने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अभी बहुत काम बाकी है, परंतु प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। संस्थागत प्रसवों की संख्या का प्रतिशत 2006 के 54 से बढ़कर 2009 में 73 तक पहुंच चुका है। इसी अवधि में शिशु मृत्युदर 57 से गिरकर 50 पर आ गई है। निर्धनों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तौर पर एक बड़ी पहल की गई है। इसके अंतर्गत इस समय इलाज के लिए भर्ती 10 करोड से अधिक मरीजों को बीमा की सुविधा मिली है। इसी प्रयोग के आधार पर हमें बारहवीं योजना के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रणाली को अपनाना होगा।

ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में अधोसंरचना से सुधार समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अधोसंरचना विकास पर केंद्रीय भारत निर्माण कार्यक्रम ने ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण आवास के क्षेत्र में भारी संसाधन मुहैया कराए है।

बुनियादी ढांचा विकास अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों की ही इसमें प्रमुख भूमिका है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी मे अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में पीपीपी (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी) परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है।

ग्यारहवीं योजना में, पहली बार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अध ोसंरचना योजना प्रस्तुत की गई है। इसकी शुरूआत अच्छी हुई है और हमें यहीं गति बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी बनाए रखना चाहिए।

भारत का विकास निष्पादन (विकास दर)

इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास दर के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था का निष्पादन बहुत अच्छा रहा और अगर दीर्घावधि परिदृश्य पर ध्यान दें, तो यह और भी प्रभावशाली लगेगा। 1960-70 के दो दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर औसतन 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही थी, वह भी ऐसे वक्त जब अन्य विकासशील देशों में विकास दर काफी तेज थी। 1980 से शुरू होने वाले दशक के दौरान नीतियां अनुकूल बनाई गई ताकि उच्च विकास दर की गति बढ़ाकर इस दशक के दौरान 5.6 प्रतिशत की जा सके। 1991 में एक बड़ा प्रयास किया गया जिसका आधार बाजार की ताकतों को सक्रिय होने के अधिक अवसर देना और वित्तीय क्षेत्र का क्रमश: उदारीकरण तथा दुनियाभर के देशों के साथ व्यापार और पूंजी प्रवाह के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना था। इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था विकासदर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1990 के दशक के पूर्वाद्ध मे यह काफी तेज रही, लेकिन उत्तराद्ध मे इसकी रफ्तार कम हो गई जिसके कारण पूरे दशक की औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत ही रही जो 1980 के दशक के दौरान रही विकास दर से अलग नहीं थी।

दसवीं योजनावधि (2002-03 से 2006-07) में 8 प्रतिशत विकासदर का लक्ष्य रखा गया और औसतन 7.8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई। 11वीं योजनावधि (2007-08 से 2011-12) 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इस अवधि मे आर्थिक विकास दर पहले साल के दौरान 9.3 प्रतिशत रही लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के चलते 2008 में यह

रफ्तार तब तक हो गई जब जीडीपी की विकासदर 6.8 प्रतिशत से कम हो गई।

भारत में आर्थिक निष्पादन में आए सुधार ने विश्व के अन्य देशों की भारत के प्रति धारणा को बदलकर रख दिया है। शुरू-शुरू में इसे तब मान्यता मिली जब नवंबर, 2002 में गोल्डमैन साच्य ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत, ब्राजील, रूस और चीन के बारे मे कहा कि चार देशों का यह ब्रिक ग्रुप अपनी कुल जीडीपी में वृद्धि के चलते 2035 तक जी-8 देशों पर छा जाएगा। वर्ष 2000 में शुरू होने वाले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ निष्पादन और वैश्विक मंदी के चलते लचीलेपन को देखते हुए भारत के लिए यह मूल्यांकन और भी सकारात्मक हो गया है।

समावेश

तीन कारणों के अलावा विकास दर समावेशी निष्पादन का मूल्यांकन करना मुश्किल है। पहला तो यह है कि समावेशी विकास एक बहुकोणीय धारणा है और इसकी प्रगति के अनेक पक्षों के मूल्यांकन की जरूरत है। दूसरे, सर्वसमावेशी विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े तभी उपलब्ध हो पाते है जब काफी समय बीत जाता है और 11वीं योजनावधि के बारे में सूचना अभी तब नहीं मिली। तीसरी, सर्वसमावेशी लक्ष्य को लेकर बनाई गई नीतियों का प्रभाव सिर्फ लंबी अवधि के बाद दिखाई देता है। इसका मतलब है कि अगर नीतियां सही दिशा में चल रही है तो भी उसका परिणाम काफी देर से सामने आएगा। उदारहण के लिए गरीबों के लिए शिक्षा मे सुधार के उपाय करने से यह माना गया कि भविष्य में इससे उनकी अर्जन क्षमता में सुधार आएगा। लेकिन अधिक आय अर्जन के रूप में इसका परिणाम काफी समय बाद दिखाई देगा।

औसत सकल घरेलू बचत दर 2007-08 के चरम बिन्दु 36. 9 प्रतिशत तब बढ़ गई और उसके बाद 2008-09 के संकट वर्ष के दौरान इसमें गिरावट आई और 32.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। जीडीपी में 4.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट का प्रमुख कारण 3. 8 प्रतिशत अंक की दर से सरकारी बचत में गिरावट है।

श्रम निवेश

भारतीय कार्यशील जनसंख्या अगले 20 वर्ष में बढ़ेगी जबकि औद्योगिक देशों, चीन में भी, यह कम हो रही है। इसे कभी-कभी जनसंख्या वृद्धि का लाभप्रद पहलू माना जाता है लेकिन ध्यान देने की बात है कि बढ़ता हुआ कार्यबल तभी लाभप्रद हो सकता है जब (a) जीडीपी विकास मे तेजी लाने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाए ताकि श्रम शक्ति की उत्पादकता से लाभ उठाया जा सके, और (b) अगर नये युवाओं को शिक्षा और दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो श्रम शक्ति में नये युवा वर्ग के प्रवेश से बेरोजगारी बढ़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप अशांति फैल सकती है।

भारत में स्कूल में पढ़ने की औसत वर्षों की संख्या 1990 में जहां 3.45 थी वहीं यह 2000 में 4.20 हो गई और 2010 में 5.12 पर पहुंच गई। यह चीन की1990 में 5.621 और 2000 में 7.11 तथा 2010 में 8.17 के साथ तुलनीय है। इस मामले में भारत महत्वपूर्ण ढंग से चीन से पिछड़ा हुआ है और श्रम शक्ति की शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति 1985 में चीन के साथ इस मामले में तुलनीय थी। उस समय चीन ने पिछले 30 वर्षों में जीडीपी के वार्षिक विकास की 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की दर प्राप्त की थी।

11वीं योजनावधि मे कई प्रकार के महत्वपूर्ण उपाय किए गए जिसमें सबके लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपाय भी किए गए। 11वीं योजना अवधि मे सबको शिक्षा की पहुंच में लाने के उद्देश्य से मात्रात्मक विस्तार पर बल दिया गया।

दक्षता विकास

ग्यारहवीं योजना मे लक्ष्य रखा गया था कि करीब 50 करोड व्यक्तियों को 2020 तक कोई न कोई औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए है जिनमें राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है और राज्य स्तर के परिषदों को अध्यक्षता वहां के मुख्यमंत्री करते है। सरकारी खर्च पर एक दक्षता विकास निगम की स्थापना भी की गई है। जो निजी क्षेत्र की अगुवाई में दक्षता विकास के उपाय करता है। दक्षता विकास के काम में निजी क्षेत्र को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से उत्पन्न की गई दक्षता को काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

कृषि

खाद्य मांग और खाद्य सुरक्षा

दृष्टिपत्र कहता है कि मांग पक्ष मे अर्थव्यवस्था मे कुल मिलाकर व प्रतिशत की वृद्धि से, कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि की मांग पैदा होने की आशा है, जिसमें खाद्यान्न की मांग में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि होगा और गैर-खाद्यान्न (मुख्यत: उद्यानिकी, पशुधन, दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन एवं मत्स्यपालन) में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दृष्टिपत्र के अनुसार हमारे सामने चुनौती यह है कि बढ़ती आय के साथ बढ़ रही भारत की जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाए, जबकि, भूमि और जल संसाध न सीमित है। बारहवीं योजना में अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़त होने की संभावना है और भोजन की मांग में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

परंतु उपभोग में काफी विविधता रहने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में खाद्य पदार्थों के उपभोग पर जो राशि व्यय की जाती है, उसका केवल 15 प्रतिशत ही खाद्यान्नों पर खर्च होता है।

खाद्य पदार्थों के उपभोग की सामग्रियों में लगातार विविधता आ रही है। यद्यपि अभी भी खाद्यान्नों की प्रधानता बनी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़े भी बताते है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच प्रतिव्यक्ति अनाज की खपत 5 प्रतिशत अति निर्धता में बढ़ गई है, जबकि शेष 95 प्रतिशत से कम हो गई है।

दृष्टिपत्र में कहा गया है कि कृषि के लिए जल-प्रबंधन की भूमिका निर्णायक होती है। पानी पंचायत और इसी प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित अन्य संस्थाओं, जैसे-जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से जल प्रबंधन में सुधार लाया जा सकता है। क्षेत्र विकास और मौजूदा बढ़ी सिंचाई प्रणालियों के पुनर्गठन और भौतिक आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्षा जल संचय की योनजाओं को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिंचित भूमि का रकबा 42 प्रतिशत है, उससे बड़े क्षेत्र मे भरोसेमंद सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। पेयजल संसाधनों को सुदृढ़ बनाना होगा। इन सभी गतिविधियों का मौजूदा सतही जलाशय-आधारित नहर सिंचाई प्रणाली से एकीकरण करना होगा।

भारत में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 21 प्रतिशत की उच्च दर से पूंजी के निवेश के बावजूद उसी अनुपात में कृषि नहीं हो रही है। चूंकि कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। उत्पादकता वृद्धि पर जोर देना जरूरी होगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने एक अध्ययन में बताया है कि 1981-90 के दशक में कृषि की उत्पादकता में 1.62 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही थी, जबकि 1991-2000 के दशक में यह वृद्धि केवल 1.55 प्रतिशत ही रही। यदि 2001-20 की अवधि में कृषि का विकास प्रतिवर्ष 3.5 से 4 प्रतिशत की दर से होता है तो कृषि उत्पादकता में 1.72 से 2.08 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी और यदि कृषि उत्पादन में 3.8 से 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार कृषि में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में कम से कम एक तिहाई की बढ़ोतरी जरूरी है क्योंकि कृषि में थोड़ा मुश्किल है।

ग्रामीण शहरी श्रृंखला में लुप्त कड़ी

दृष्टिकोण में ग्रामीण रूपांतरण के अध्ययन के प्रारंभ में कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार 83 करोड 30 लाख ग्रामीण भारत में निवास करते रहेंगें। परंतु योजना आयोग हाल तक यह अनुमान लगा रहा था कि 2011 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 87 करोड रहेगी। योजना आयोग इस बात की ठीक से अनुमान नहीं लगा सका कि ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 3 करोड 70 लाख लोग गांवों से निकलकर छोटे-छोटे शहरों की ओर जा चुके होंगे। यह काफी बड़ी संख्या है और समावेशी विकास जैसे दृष्टिकोण के लिहाज से इतने लोगों का गायब होना एक समस्या है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने भविष्य के पूर्वानुमानों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसके कारण बारहवीं योजना तैयार करते समय कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। इन अनुमानों के अनुसार 2030 में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत रह जाएगी।

कृषि विकास दर

दृष्टिपत्र मे इस बात पर जोर दिया गया है कि 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत के औसत विकास, खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और गैर-खाद्यान्नों, खासकर बागवानी, पशुधन, डेयरी, मुर्गीपालन और मछलीपालन उद्योग की 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि दर पाने के प्रयत्नों में तेजी लानी होगी। कृषि में उच्चतर विकास से न सिर्फ ग्रामीण आबादी की आय में व्यापक वृद्धि होगी बल्कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी। यह दबाव तब बढ़ जाता है जब आंतरिक खाद्य उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी के बिना विकास दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

खाद्यान्नों का उत्पादन

ग्यारहवीं योजना में कृषि विकास की रफ्तार में उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो नौवीं योजना में देखने को मिली। गिरावट का यह दौर दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहा। लेकिन वक्त ने करवट ली और कृषि खिलाड़ियों की दिन-रात की मेहनत रंग लाई। 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 24 करोड 16 लाख टन के शिखर तक पहुंच गया। गेंहू के साथ-साथ दलहनों, तिलहनों और कपास के उत्पादन में भी कीर्तिमान स्थापित किए गए है। साथ ही वर्तमान में कृषि की विकास दर 3.2 प्रतिशत हो गई। दसवीं योजना के दौरान तो कृषि की वृद्धि दर घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई। अब 12वीं योजना के दौरान अधिक नहीं तो कम से कम चार प्रतिशत की विकास दर सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने प्रयास दोगुनी रफ्तार और पूरे उत्साह से करने की जरूरत है।

कृषि का बागवानी, पशुपालन और गैर-खाद्य फसलों के क्षेत्र में विस्तार तो हुआ लेकिन 1997-98 से 2004-05 के दौरान स्वयं कृषि के जीडीपी में औसत से सिर्फ 1.9 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। कृषि से आय वृद्धि दर तो और भी घट गई। क्योंकि इस अवधि में व्यापक शर्ते कृषि के प्रतिकूल थी। यह सब कुछ अपर्याप्त मांग और ग्रामीणों की क्रय शक्ति में कमी का सूचक था। कृषि आय की तुलना में कृषि कर्ज बढ़ जाने से आशा की किरण

धूमिल पड़ने लगी। इसकी परिणति किसानों की आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि के रूप में देखने को मिली।

वर्षा सिंचित क्षेत्र

देश में खासकर वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि संकट की पुष्टि, 2003 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए किसानों के स्थिति के आकलन से और 2004 में दसवीं योजना की मध्यावधि मूल्यांकन से भी हो गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 2005 में कृषि की स्थिति पर विचार के लिए एक उपसमिति बनाई तथा राष्ट्रीय किसान आयोग और योजना आयोग ने जो सूचना सामग्री दी उसके आधार पर 11वीं योजना बनाई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 2007 में अकेले कृषि क्षेत्र पर विचार के लिए विशेष बैठक बुलाई। इसमें इस क्षेत्र के लिए 11वीं योजना की कार्य नीति पर विचार किया गया और इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस विचार-विमर्श से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव तथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अभाव के अलावा, कमजोर प्रौद्योगिकी, कर्ज के लिए रूपये पैसे की उपलब्धता में देरी तथा विस्तार और विपणन सेवाओं में ढीलापन साफ दिखाई देता है।

11वीं योजना से पहले ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 को आरंभ किया गया। इसके जरिये रोजगार सुरक्षा का भूमि और जल संरक्षण के साथ तालमेल बिठाया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से अत्यंत गरीब क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अपनी योजनाएं स्वयं बनाने के लिए आर्थिक सहायता का विस्तार किया गया।

खाद्य सुरक्षा

1990 के बाद अधिकतर वर्षा में हम अनाजों का निर्यात करते रहे है। 2010-11 में तो भारत ने 50 लाख टन से अधिक अनाज का निर्यात किया। इसमें 20 लाख टन बासमती चावल और तीन लाख टन मक्का था।

12वीं योजना के दौरान अनाजों के उत्पादन में 1.8 से 2 प्रतिशत, चावल के उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत और दालों में लगभग 4 प्रतिशत के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर अनाज का उत्पादन 2 प्रतिशत या कुल अधिक होने की अपेक्षा है। बागवानी और पशुपालन क्षेत्र के उत्पाद 4.5 से 5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। तिलहन का उत्पादन 2.5 प्रतिशत से अधिक होने की अपेक्षा है। इस तरह कह सकते है कि कृषि के उत्पादन मे कुल मिलाकर 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि होगी।

2007 से 2012 तक की 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिशत वाली वृद्धि दर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी।

जनवितरण प्रणाली

इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न के बजाय आटा की आपूर्ति करे। इसके अलावा 12वीं योजना के प्रस्ताव में राष्ट्रीय खाद्य आयोग और अग्रिम खाद्य सुरक्षा का भी प्रावधान करने को कहा गया है।

12वीं योजना के लक्ष्य

सरकार ने 12वीं योजना में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने एवं औसत स्वास्थ्य संकेत के नजदीक पहुंचने की इच्छा रखी है। सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य सुविधा, व्यापक स्वास्थ्य ढांचा, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी, बच्चों के पोषण एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों को मजबूत करने का संकल्प है।

12वीं योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें 75 : 25 के अनुपात में 30 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 30,000 रूपये तक के ऑपरेशन या उपचार की सुविधा देगी। यह योजना 29 राज्यों के सभी प्रमुख जिलों में लागू करना है। हालांकि 12वीं योजना का दृष्टिकोण यह उम्मीद करता है कि सरकार द्वारा पोषित यह स्वास्थ्य बीमा योजना देश के सभी नागरिकों को मिले, ऐसी कोशिश की जाएगी।

12वीं योजना मे बच्चों के पोषण, स्कूल स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है। इसमें 3 वर्ष तक के बच्चों को विशेष टीकाकरण एवं पोषण आपूर्ति कार्यक्रम में आवश्यक रूप से शामिल करने की बात है।

12वीं योजना में 100 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण का लक्ष्य है। क्षमता वृद्धि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ कर 50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 11वीं योजना में निजी क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत था। क्षमता में वृद्धि का अधिकांश दारोमदार तापीय विद्युत पर निर्भर है। इसलिए कोयले की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों को हल करना, 12वीं योजना में महत्वपूर्ण होगा।

दूरसंचार

इस योजनावधि में दूरसंचार क्षेत्र में वास्तव में विकास हुआ है। ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) की रिपोर्ट के अनुसार कुल फोन कनेक्शनों की संख्या 89 करोड 90 लाख हो गई है। मल्टीपुल कनेक्शनों (एक ही व्यक्ति द्वारा लिए गए, अनेक कनेक्शन) की चिंताओं के बावजूद यह संख्या काफी बड़ी है। इस क्षेत्र का 11वीं योजना की उपलब्धि माना जा सकता है।

तेल एवं गैस पाइपलाइन

निवेश आकर्षित करने के मामले मे इस क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे रू. 16,855 करोड रू. के लक्ष्य की तुलना में रू. 1.27 लाख करोड का निवेश मिलने की आशा है। भारी वृद्धि का मुख्य कारण इस क्षेत्र में पाइपलाइनों को शामिल किया जाना है, जबकि पहले इन्हें शामिल नहीं किया गया था। अकेले पाइपलाइनों मे ही रू. 1.08 लाख करोड का निवेश किया गया है। 12वीं योजना मे भी वृद्धि की इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है, क्योंकि तेल और गैस की मांग में वृद्धि होना निश्चित है। घरेलू तेल खपत में आयातित तेल की मात्रा 11वीं योजना के 76 प्रतिशत से बढ़कर 12वीं योजना में 80 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है। प्राकृतिक गैस की मांग में भी वृद्धि 19 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाने की आशा है। तेल पाइपलाइन के जरिए तेल का परिवहन सतह परिवहन (सड़क / नौवहन) की तुलना में सस्ता पड़ता है और इसके कई अन्य लाभ भी है।

सिंचाई

सिंचाई और जलग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड) प्रबंधन में निवेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है। यह सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिंचाई जल परियोजनाओं की परिचालन लागत का केवल 20 प्रतिशत ही जल-प्रभार के रूप में प्राप्त होता है। घाटे का सौदा होने के कारण निजी क्षेत्र इसमें निवेश नहीं करता।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा

1,25,000 गांवों के 2 करोड, 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाना, शेष 66,802 ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, 55,067 वंचित बस्तियों में पेयजल मुहैया कराना, एक करोड हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और बाकी बचे 66,822 गांवों में टेलीफोन कनेक्शन देना है।

रेलवे

11वीं योजना में बजटीय सहयोग अंश 38 प्रतिशत हो गया है। जबकि प्रारंभ से 27 प्रतिशत का ही अनुमोदन किया गया था। इस प्रकार 11वीं योजना में जीबीएस (आम बजट समर्थन) और आईआरएफसी (भारतीय रेल वित्त विभाग) के जरिये बाजार ऋण पर निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ी है। आंतरिक संसाधनों और पीपीपी के जरिये अपेक्षित निवेश नहीं हो सका, जिसके कारण रेल क्षेत्र में निवेश कम हुआ है। रेलवे के लिए 12वीं योजना का निर्माण 2020 की परिकल्पना की पृष्टभूमि में किया जा रहा है।

12वीं योजना के लिए रेलवे की 7.19 लाख करोड रूपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक बजट से प्राप्त होगा और निजी क्षेत्र से 10 प्रतिशत का समर्थन मिलेगा। परिवहन क्षेत्रों में रेलवे को प्राथमिकता देनी होगी। ऊर्जा, भूमि और पर्यावरण के लिहाज से ऐसा जरूर भी है।

ग्रामीण सड़के

निर्धनता अपशमन की महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर वर्ष 2000 मे शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को 2003 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना था। 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक जोड़ना था। पर्वतीय, मरूस्थली, और जनजातिय इलाकों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है। चुनिंदा ग्रामीण सड़कों को सुधारकर कृषि उत्पादों को बाजार मुहैया कराना भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इस कार्यक्रम पर अमल की जिम्मेदारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 2007 तक की समय सीमा निधारित की गई थी, परंतु कुछ राज्यों में क्रियान्वयन की क्षमता और धन के अभाव के करण कार्यक्रम के लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो सके।

11वीं योजना में इस कार्यक्रम के अमल पर 59,751 करोड रूपये व्यय होने का अनुमान है। कार्यकारी समूह ने बारहवीं योजना में 2 लाख करोड रूपये के निवेश का अनुमान लगाया है। चूंकि इस क्षेत्र मे पीपीपी आकर्षित करने का कोई अवसर नहीं है, कार्यकारी समूह ने पूरी मांग बजटीय से पूरा करने का अनुमान लगाया है।

केंद्रीय सड़कें

11वीं योजना में, एनएचडीपी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम) के विभिन्न चरणों में 9,044 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, पूर्वोत्तर पैकेज के तहत 1,012 किमी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,051 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 71,772 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 24 प्रतिशत लंबा मात्र 4 लेन और उससे ऊंचे स्तर का है, 52 प्रतिशत सड़के 2 लेन की है और 24 प्रतिशत सड़के एकल लेन वाली है। बारहवीं योजना के लिए केंद्रीय सड़कों पर कार्यकारी समूह ने 4.83 लाख करोड रूपये के निवेश की आवश्यकता बताई है, जिसमें से निजी क्षेत्र का घटक 1.78 लाख करोड रूपये या 37 प्रतिशत है। शेष राशि बजट और बजटेतर स्रोतों से प्राप्त होने की आशा है। इसमें पेट्रोल और डीजल पर उपकर शामिल है। बारहवीं योजना में 30 हजार किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ पूर्वोत्तर में 7 हजार किमी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में करीब 13 हजार लंबी सड़को

के निर्माण का लक्ष्य रहने की संभावना है। एक्सप्रेस वेज (उच्चस्तरीय राजमार्गों) पर भी निवेश की योजना है: हालांकि वे अधिक किफायती नही होती। नागरिक विमानन: पिछले पांच वर्षों में भारत विश्व का नौवा सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाजार बन चुका है। वित्त वर्ष 2006 में 7 करोड 20 लाख यात्रियों ने विमानों से यात्राएं की जो वित्त वर्ष 2011 मे तीन गुना बढ़कर 22 करोड तक पहुंच गई। माल परिवहन प्रबंधन क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन वित्त वर्ष 2011 हो गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र मे हवाई संपर्क की सुविधाओं में विस्तार हुआ है।

पीपीपी के माध्यम से चार अंतर्राष्ट्रीय विमानतल परियोजनाओं का काम, सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये परियोजनाएं है: हैदराबाद और बंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय विमान तलों का हरित क्षेत्र विकास और मुंबई तथा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान तलों का आधुनिकीकरण। विमान तल आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) का निर्माण भारतीय विमान तलों पर उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। बारहवीं योजना में विमानतलों के लिए रू. 75,000 करोड के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की आशा है।

बंदरगाह

जहाजरानी मंत्रालय ने योजना के पहले दो वर्षों में एक भी पीपीपी परियोजना को मंजूरी नही दी थी। बारहवीं योजना में बंदरगाहों की क्षमता के विस्तार पर काफी जोर दिया जा रहा है। बारहवीं योजना में कुल 4,338 करोड रूपये (निजी क्षेत्र के बगैर) के निवेश का प्रस्ताव है। आशा है कि निजी क्षेत्र द्वारा बंदरगाह क्षेत्र के विस्तार की रणनीति बारहवीं योजना में भी जारी रहेगी।

निष्कर्षत:

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा है। दूरसंचार और गैस एवं तेल पाइपलाइन में अच्छा निवेश हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उतना निवेश नहीं हो सका है। बारहवीं योजना में बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों मे भारी धनराशि के निवेश की आवश्यकता होगी ताकि न केवल प्रगति की गति बनी रहे बल्कि लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन क्षेत्र का विकास

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ होना और परिवहन प्रणाली का दक्ष होना बेहद जरूरी है। इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,440 किमी थी। पहली योजनावधि (1951-1956) में इसमें 815 किमी. की दूसरी योजनावधि में 1,514 किमी. की वृद्धि हुई तो तीसरी योजना के पांच वर्षों के दौरान मात्र 179 किमी. की वृद्धि हुई। जब तीसरी योजना के बाद 1966 से 1969 तक योजनागत विकास की छुट्टी रही तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मात्र 52 किमी. की वृद्धि दर्ज की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना मे इसमें तेजी आई और 4,819 किमी. का इजाफा दर्ज किया गया। पंचवीं योजना (1974-1978) के दौरान एक बार फिर उपेक्षा का दौर चला और राष्ट्रीय राजमार्गों में मात्र 46 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-1985) के दौरान 2,687 किमी. और सातवीं योजना के दौरान 1,902 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर 1990-92 की विराम अवधि में मात्र 77 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। आठवीं योजना काल (1992-97) मे स्थिति में मामूली सुधार हुआ और 609 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (1997-2002) अवश्य उल्लेखनीय है जब राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को उचित प्राथमिकता मिली और इसके कुल 23,814 किमी. की वृद्धि कर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई को 58,112 किमी. के स्तर तक पहुंचाया जा सका। दसवीं पंचवर्षीय योजना में फिर शिथिलता का दौर चला और 9,008 किमी. नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। यह नौवीं योजना की तुलना में कम होते हुए भी पहले की किसी भी योजनावधि मे हासिल की गई प्रगति से बेहतर था। दसवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के काम को पूरा करने पर जोर दिया गया।

रेल परिवहन

भारतीय रेलवे विश्व के बहुत बड़े रेलवे तंत्र में से एक है जो प्रतिदिन 2.2 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है और हर साल 92.3 करोड टन माल की ढुलाई करता है।

भारत में वायु परिवहन प्रणाली में गुणात्मक सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस दिशा मे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से आरंभ की गई 'गगन' परियोजना से काफी उम्मीद है।

निष्कर्षत: 12वीं योजना के दृष्टिकोण में 11वीं योजना के लक्ष्यों को ही बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए समावेशी विकास, साथ ही कृषि को महत्व देने की कोशिश की गई थी। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण मे कृषि पर जो अध्याय तैयार किया गया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में सुधार सक्रिय समावेश के मूल तत्व है। लोक सेवाओं मे बेहतरी लाना महत्वपूर्ण है। संपन्न लोग तो इन सेवाओं की खामियों की भरपाई महंगी निजी संस्थानों में कर सकते है लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकते। बारहवीं योजना इस अर्थ में दूरदर्शी कही जा सकती है कि उसमें बेहतर लोक सेवा के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था कायम करने के

विभिन्न रास्ते तलाश करने की बात की गई है।

इसलिए इस योजना में वे सभी तत्व शामिल किए गए है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते है। परंतु सक्रिय समावेशन के लिए उन सभी तत्वों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। इस प्रकार के समायोजन में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने वाले कार्यक्रमों को शामिल करना जरूरी होगा। ये भी सक्रिय समावेशन के महत्वपूर्ण तथ्य है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की स्थापना सन् 1950 में हुई थी। यह भारत जैसे विशाल देश मे होने वाला सतत सर्वेक्षण है जो लगातार कई दौरों में (Rounds) किया जा रहा है। इस संगठन की स्थापना प्रोफेसर पी.सी. मलनोवीस के प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक आर्थिक योजना तथा नीति निर्धारण में आवश्यक आंकडों की कमी को प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा पूरा करने के लिए की गई थी। मार्च, 1970 में एनएसएस को मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यो को एक सरकारी संगठन के अंतर्गत शामिल किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। इसका कार्य एक संचालन समिति के निर्देशन में आंकडों का संकलन, संसाधन तथा प्रकाशन का कार्य स्वतंत्र रूप में करना है।

सरकारी परिव्यय की प्राथमिकताओं को कडाई से लागू करना, इन तत्वों का महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए दो मानदंड अपनाने होंगें, वे जो भावी क्षमता का निर्माण करेंगें और जो प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाए जा सकेंगें। इससे निवेश के लिए सरकारी परिव्यय की संरचना मे बदलाव आ सकेगा। इसकी सफलता के लिए करोडों निर्धनों को अपना जीवन सुधारने के लिए प्रोत्साहन अवसर देने होंगें।

योजना उद्देश्य

योजना	**उद्देश्य**
पहली	कृषि विस्तार
दूसरी	आयात प्रति स्थापित दर तथा भारी एवं आधारभूत उद्योग
तीसरी	आर्थिक आत्मनिर्भरता
चौथी	कृषि में प्रौद्योगिकी सुधार, स्थिरता के साथ संवृद्धि
पांचवीं	गरीबी को हटाना
छठीं	खाद तथा ईंधन योजना
सातवीं	मानवीय संसाधनों का विकास
आठवीं	निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण
नौवीं	समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि
दसवीं	समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि
ग्यारहवीं	तेज, विस्तृत आधार दर, लगातार संवृद्धि, समावेशी विकास

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य

(Functions of NSSO)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य निम्न प्रकार है:

1. देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा घरेलू लघु-उद्योगों के उत्पादन के उपयोग इत्यादि से संबंधित आंकडों का संकलन लगातार तथा विस्तृत रूप से करना। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए प्राप्त आंकडों की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करना संगठन का प्रमुख कार्य है।
2. देश के संगठित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकडो का संकलन करना।
3. राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए सर्वेक्षणों के संचालन में तकनीकी परामर्श तथा उनके परिणामों में समन्वय करना। एनएसएसओ नियोजकों तथा अन्वेषकों को आवश्यक आंकडों की पूर्ति करते है तथा एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाते है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर सर्वेक्षण संचालित किए जाते है। ये सर्वेक्षण निम्न विषयों पर होते है।
   (i) जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
   (ii) संपत्ति, ऋण तथा विनियोजन
   (iii) भूमि-स्वामित्व तथा पशुधन उपक्रम
   (iv) रोजगार तथा बेरोजगार, ग्रामीण श्रमिक तथा उपभोक्ता व्यय, तथा
   (v) स्वरोजगार तथा गैर-कृषि उपक्रम